परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 06.06.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 06.06.2018, दिन बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, प्रति–कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 सुधाशु पाण्डया, सह–आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री उमानाथ, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 05.05.2018 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

   परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 05.05.2018 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **सत्र 2017–18 की बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षाएं कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–**

   सत्र 2017–18 की बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षाएं कराये जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

3. **सत्र 2017–18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में नकल सम्बन्धी प्रकरण पर अनुचित साधन प्रयोग समिति की आख्या पर विचार :–**

   परीक्षा समिति में अनुचित साधन प्रयोग समिति द्वारा वर्ष–2018 की विश्वविद्यालय की स्नातक व परास्नातक परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष–2018 में अनुचित साधन प्रयोग के 290 व्यक्तिगत (Indivisual) मामले पकड़े गये, जिसमें विशेषज्ञों की आख्या के आधार पर 10 छात्रों को सन्देह का लाभ प्रदान किया गया तथा आरोप मुक्त किया गया। 280 परीक्षार्थियों पर अनुचित साधन प्रयोग सिद्ध होने से उनकी परीक्षा निरस्त की गई।

   वर्ष–2018 की परीक्षाओं में उड़ाकादल द्वारा सामूहिक नकल के सम्बन्ध में कुल 133 महाविद्यालय आरोपित किए गए तथा 10 महाविद्यालय दुर्व्यवहार तथा गम्भीर अनियमितताओं में आरोपित किए गए।

   शासन द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा महाविद्यालयों द्वारा सी.डी. विश्वविद्यालय में जमा करायी गई थी। विश्वविद्यालय की सी.डी. मॉनिटरिंग कमेटी ने परीक्षाओं की विभिन्न केन्द्रों की सी.डी. का विश्लेषण किया गया तथा 130 परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. की सी.डी. के आधार पर सामूहिक नकल स्थापित पायी गयी तथा 64 केन्द्रों ने विश्वविद्यालय में रिक्त सी.डी. तथा त्रुटिपूर्ण सी.डी. (Blank/Corrupted C.D.) जमा की। कई परीक्षा केन्द्र ऐसे भी थे जिन्होंने शासन के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाए थे।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने अनुचित साधन प्रयोग के छात्रों के व्यक्तिगत मामलों तथा परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल के मामलों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए :–

1. व्यक्तिगत नकल में मामलों में आरोपित छात्रों की वर्ष 2018 की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
2. वर्ष 2018 की परीक्षा में जो परीक्षा केन्द्र सामूहिक नकल में संलिप्त पाये गए है, उन समस्त केन्द्रों की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया।

सामूहिक नकल में लिप्त पाये गए परीक्षा केन्द्रों पर निम्न दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिए गए :–

क्र. सं.	अनुचित साधन का प्रकार	दण्डात्मक कार्यवाही
1.	उड़ाकादल के साथ हिंसा व अभद्र व्यवहार में लिप्त पाये गए परीक्षा केन्द्र।	➢ 2 वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जाना। ➢ स्थायी सम्बन्धन/नये पाठ्यक्रमों हेतु 2 वर्षो के लिए प्रतिबन्धित किया जाना।
2.	वर्ष–2017 तथा 2018 दो वर्षो के लिए निरन्तर सामूहिक नकल में आरोपित परीक्षा केन्द्र।	➢ वर्ष–2019 तथा 2020 के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त तथा परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाना। ➢ स्थायी सम्बन्धन तथा नये पाठ्यक्रमों के लिए 2 वर्षो हेतु प्रतिबन्धित किया जाना।
3.	वर्ष–2018 की परीक्षा में 2 अथवा अधिक उड़ाकादल द्वारा सामूहिक नकल में आरोपित परीक्षा केन्द्र।	➢ 2 वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जाना। ➢ 2 वर्षो के लिए स्थायी सम्बन्धन हेतु प्रतिबन्धित किया जाना तथा वर्ष–2019 के लिए परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाना।
4.	वर्ष–2018 की परीक्षा में एक उड़ाकादल द्वारा आरोपित परीक्षा केन्द्र।	➢ 1 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जाना। ➢ वर्ष–2019 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाना।
5.	**वित्तीय अर्थदण्ड :–**	
	i. हिंसा तथा अभद्र व्यवहार में आरोप सिद्ध परीक्षा केन्द्र।	➢ रूपये दो लाख अर्थदण्ड
	ii. वर्ष–2017 तथा 2018 में सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध परीक्षा केन्द्र।	➢ रूपये दो लाख अर्थदण्ड
	iii. वर्ष–2018 की परीक्षा में 2 अथवा अधिक उड़ाकादलों द्वारा सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध परीक्षा केन्द्र।	➢ रूपये दो लाख अर्थदण्ड
	iv. वर्ष–2018 की परीक्षा में 1 उड़ाकादल द्वारा सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध परीक्षा केन्द्र।	➢ रूपये एक लाख पचास हजार अर्थदण्ड
	v. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिन्होंने परीक्षा कक्ष में सी.सी. टी.वी. कैमरे स्थापित नहीं कराये।	➢ रूपये एक लाख अर्थदण्ड ➢ स्थायी सम्बन्धन/नये पाठ्यक्रमों के लिए 1 वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया जाना।
	vi. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिन्होंने रिक्त/त्रुटिपूर्ण सी.डी. (Blank/Corrupted C.D.) प्रस्तुत की है।	➢ रूपये पचास हजार अर्थदण्ड
	vii. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिन्होंने असंगत तथा गम्भीरतापूर्ण आपत्तिजनक सामग्री वाली सी.डी. जमा की है।	➢ रूपये दो लाख अर्थदण्ड
	viii. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके द्वारा जमा की गई सी.डी. द्वारा सामूहिक नकल प्रदर्शित होती है।	➢ रूपये एक लाख अर्थदण्ड
	ix. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके ओ.एम.आर. उत्तर पत्रकों में 100% उत्तर एक समान प्रदर्शित होते है।	➢ परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल स्थापित मानी जाएगी तथा तद्नुसार परीक्षा निरस्त की जाएगी एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

	x. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके परीक्षार्थियों के ओ.एम. आर. उत्तर पत्रकों में 70% या अधिक, किन्तु 100% से कम उत्तर एक समान है।	➢ परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल स्थापित नहीं मानी जाएगी तथा अनुचित साधन प्रयोग की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
6.	ऐसे महाविद्यालय जिनके प्राचार्यो ने वर्ष–2018 की परीक्षा में विश्वविद्यालय के साथ सकारात्मक सहयोग नहीं दिया है।	➢ विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय को चेतावनी पत्र निर्गत किया जाएगा।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/लेखा/सम्बन्धन)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

4. **कु0 रिचा देवी, एम0एससी0 उत्तरार्द्ध, विषय–जन्तु विज्ञान, अनुक्रमांक–2043616, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के शिकायत पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कर्मचारी परिषद, कानपुर द्वारा दिनांक 27.09.2017 एवं स्मरण पत्र दिनांक 13.10.2017 के माध्यम से कु0 रिचा देवी, छात्रा एम0ए0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2017, विषय–जन्तु विज्ञान, अनुक्रमांक–2043616, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के मूल्यांकन में अनियमितता एवं अंको की बढ़ोत्तरी की शिकायत की गई थी, जिस पर माननीय कुलपति जी द्वारा प्रारम्भिक जाँच के आदेश प्रदान किए गए थे। प्रारम्भिक जाँच में पाया गया कि "जिस कर्मचारी/अधिकारी का वार्ड परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए था। श्री सुधीर कुमार अवस्थी द्वारा इस तथ्य से अधीक्षक/उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया कि उनकी पुत्री परीक्षा में सम्मिलित हो रही है। उनके द्वारा परीक्षकों को कॉपियाँ आवंटन एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों को नामित करने का कार्य किया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ताओं द्वारा कोडिंग को चुनौती दी गयी है कि कोडिंग के बावजूद अंको में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है।"

उक्त प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त श्री सुधीर कुमार अवस्थी का मूल्यांकन विभाग से स्थानांतारण कर दिया गया, तदोपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा जाँच समिति गठित कर विस्तृत जाँच के आदेश प्रदान किये गये थे, जिसमें निष्कर्ष दिया गया कि "इस प्रकरण में श्री सुधीर कुमार अवस्थी, वरिष्ठ सहायक जिनकी पुत्री वर्ष–2017 की एम0एससी0–प्राणी विज्ञान की परीक्षार्थी थी, ने इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं दी। श्री अवस्थी को इस परीक्षा के प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन कार्य से विरत रहना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उक्त छात्रा कु0 रिचा देवी के सभी प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं पर कुछ विशेष चिन्ह बनाकर मूल्यांकन की गोपनीयता तथा निष्पक्षता भंग करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। अधिकांश परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन में कुछ प्रश्नों के अंकों में कई बार वृद्धि की गयी है, जो सन्देहास्पद है।" जिस पर माननीय कुलपति जी ने जाँच समिति की संस्तुति को स्वीकृति प्रदान की, जो निम्नवत् है :–

1. श्री सुधीर कुमार अवस्थी द्वारा अपने अभिभाव्य (पुत्री) के 2016 तथा 2017 की परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना को छिपाया गया है, जिससे मूल्यांकन की शुचिता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सभी पाँच प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में चिन्ह बनाकर परीक्षार्थी ने अपने पहचान उद्घाटित करने का प्रयास किया है जिसका एक मात्र उद्देश्य परीक्षकों से अनुचित लाभ प्राप्त करना था। अतः समिति यह संस्तुति करती है कि उक्त छात्रा कु0 रिचा देवी के एम0एससी0 (प्राणि विज्ञान) द्वितीय वर्ष–2017 के सभी पाँच प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को किन्ही दो बाह्य परीक्षकों (जो इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो) से मूल्यांकित करवाकर उनके द्वारा दिये गये अंकों का औसत निकालकर परीक्षार्थी को प्रदान कर उसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए।
2. प्रत्येक वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के पूर्व अतिगोपनीय/मूल्यांकन/कोडिंग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/एजेंसी कर्मियों से इस आशय का प्रपत्र अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करवा लिया जाय कि उनका पाल्य/अभिभाव्य/निकट सम्बन्धी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है अन्यथा की स्थिति में उन विश्वविद्यालय कर्मचारियों/एजेंसी कर्मियों को परीक्षा कार्य से विरत रखा जाय।

साथ ही कु0 रिचा देवी की एम0एससी0 उत्तरार्द्ध, विषय–जन्तु विज्ञान की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चुनौती मूल्यांकन के पैटर्न पर किए जाने के आदेश प्रदान किया। चुनौती मूल्यांकन के पैटर्न पर कु0 रिचा की 5 उत्तर पुस्तिकाओं के अंक प्राप्त हो गये है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कु0 रिचा देवी पूर्व परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए चुनौती मूल्यांकन के पैटर्न पर प्राप्त अंको के आधार पर परीक्षा परिणाम परिवर्तित कर दिया जाय

तथा सत्र 2017–18 व 2018–19 की वार्षिक परीक्षाओं में सम्बंधित पाँच परीक्षकों (डॉ0 संगीता अवस्थी, डॉ0 बी0एस0 चन्देल, डॉ0 जे0पी0 सिंह, डॉ0 एम0के0 सिन्हा व डॉ0 पी0के0 बाजपेई) को परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो से विरत रखा जाय एवं को–र्डिनेटर (डॉ0 होरी लाल शर्मा, डॉ0 पी0एन0 निगम, डॉ0 के0के0 त्रिवेदी, डॉ0 विजया चक्रवर्ती व डॉ0 पी0के0 बाजपेई) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सचेत किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. **सत्र 2017–18 की परीक्षाओं मे धर्मपाल सिंह चन्द्रौल पी0जी0 कालेज, फतेहपुर परीक्षा केन्द्र में बी0ए0 तृतीय वर्ष के भूगोल की परीक्षा में खुलेआम सुविधाशुल्क वसूलने व नकल कराये जाने के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया श्री विवेक सिंह ने ई–मेल के माध्यम से धर्मपाल सिंह चन्द्रौल पी. जी. कालेज, फतेहपुर परीक्षा केन्द्र पर बी0ए0 फाइनल ईयर के भूगोल की परीक्षा के नकल माफियाओं ने परीक्षार्थियों से सुविधा शुल्क वसूल कर खुलेआम नकल कराये जाने की शिकायत की है। उड़ाकादल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिस पर उड़ाकादल के संयोजक डॉ0 अभिनव सिंह ने अपनी आख्या में सन्दर्भित परीक्षा सन्तोषजनक न होने तथा निम्नांकित अनियमितताओं का उल्लेख किया है :–

1. महाविद्यालय परिसर में सीलिंग पैकिंग के समय कैमरा बन्द था।
2. परीक्षा में ड्यूटी रजिस्टर पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष रिलीवर के नाम व हस्ताक्षर नहीं थे।
3. प्राचार्य कक्ष बन्द था।
4. महाविद्यालय परिसर में स्ट्रांग रूम नहीं है।
5. महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान कैमरा बन्द था।
6. पूर्व की परीक्षाओं का डेटा/रिकार्डिंग नहीं भेजा जा रहा एवं उपलब्ध नहीं है।
7. केन्द्राध्यक्ष का पत्र भी उपलब्ध नहीं था। केन्द्राध्यक्ष का एप्रूवल लेटर नहीं था।
8. उड़ाकादल के कहने के बावजूद प्रबन्ध तन्त्र द्वारा ओ0एम0आर0 शीट नोडल सेण्टर भेज दी गयी।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उक्त महाविद्यालय को अभद्र व्यवहार की श्रेणी में रखते हुए 02 वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त, स्थायी सम्बन्धन/नये पाठ्यक्रमों हेतु 2 वर्षो के लिए प्रतिबन्धित एवं रूपये दो लाख अर्थदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/लेखा/सम्बन्धन)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

2. **सत्र 2018–19 की समस्त प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में सी0सी0टी0वी0 की रिकार्डिंग विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने पर विचार :–**

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया सत्र 2018–19 की समस्त प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाएं सी0सी0टी0वी0 कैमरे निगरानी में करायी जाय तथा इसकी रिकार्डिंग विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

6/6/18
(प्रो० नीलिमा गुप्ता)
कुलपति

6.6.18
(उमानाथ)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति